श्रीगंगानगर
29/2017

अपील सूचना अधिकार संख्या 29/2017 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

31–07–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.01.2017 के द्वारा 2 बिन्दुओ की सूचना उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही गई थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1)(2) के तहत उन पर 25000/–रूपये जुर्माना लगाया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.01.2017 के द्वारा उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. आपके पत्रांक 8862 दिनांक 6.01.2017 में अकिंत तथ्य कि अपील संख्या 6388 निर्णय दिनांक 19.10.2016 माननीय राजस्थान सूचना आयोग की पालना में राजस्थान सेवा नियम के वाल्यूम–I चार्ट–I (seventh edition) के अवलोकन हेतु आदेशित किया है।कृपया उस नियम की जिस पेज संख्या व लाइन संख्या में अवलोकन शब्द लिखा है उस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि व सूचना।
2. अवलोकन करने हेतु आदेश प्रार्थी को जिस नियम व अधिकारी के आदेश पर दिया गया है उस नियम आदेश की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि व आदेश देने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या 306 दिनांक 18.04.17 प्रस्तुत किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचनांए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च के तहत आती है जिसके लिए उसे पत्र सं0 12219 दिनांक 27.02.17 से सूचित किया जा चुका है।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त दो बिन्दुओ की सूचना के संबंध में पत्र सं0 12219 दिनांक 27.02.17 के द्वारा निम्नानुसार सूचित किया गया है।

ला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

29/2017

आप द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि:–

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, सविंदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हे अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। अतः चाही गई सूचना के सबंध में आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर वांछित सूचना के संबध में आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर वाछित सूचना के संबध में उपलब्ध अभिलेखो को चिन्हित कर दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित सूचना नही है एवं प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

1654-55
12/9/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का यदि अपीलार्थी अवलोकन कर कोई सूचना लेना चाहे तो उसे उपलब्ध अभिलेख का नियमानुसार अवलोकन करवा दिया जावे और उपलब्ध अभिलेख में से अपीलार्थी जो सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर